राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर।

क्रमांकः–प.17(3955) / तक / आक्षेवि / रेगु / 2019 / 217-220 दिनांकः 19 मार्च, 2019

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ जं0। 9799776677	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9116158111	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर। 9414010773	अति0 मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर। 9116158600

विषयः– इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 21.3.2019 सायं 6.00 बजे से दिनांक 26.3.2019 सायं 6.00 बजे तक पीने हेतु पानी चलाये जाने का प्रस्ताव।

संदर्भ :– आपका पत्र कमांक एफ.4 / रेगु / 14–बी / 16195 दिनांक 18.3.2019

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 26.3.2019 से प्रारंभ होने वाले क्लोजर से पूर्व हरिके से दिनांक 22.3.2019 तक 10500 क्यूसेक एवं दिनांक 23 से 25.3.2019 तक 6750 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जाना निर्धारित है।

क्लोजर से पूर्व पीने हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में प्रभावी रोटेशन पश्चात् दिनांक 21.3.2019 सायं 6.00 बजे से दिनांक 26.3.2019 सायं 6.00 बजे तक (समय आईजीएनपी की बुर्जी सं. 620 पर) अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति के पश्चात् शेष उपलब्ध पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से समन्वय कर इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की सभी नहरों में बारी–बारी से पीने हेतु निम्न प्रकार से प्राप्त प्रस्तावों को मुख्य अभियन्ता, इंगानप, बीकानेर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इंगानप, जैसलमेर तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता हैः–

क.सं.	नहरें	मात्रा क्यूसेक में
1.	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2.	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
3.I	कंवरसेन जलोत्थान नहर	148
3.II	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
4.	साहवा जलोत्थान नहर	113.84
5.	पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से	76
6.	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
7.	नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी	70
8.	मैं. बी.एस. लिग्नाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा	05
9.	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना	240
10.	सोलर पावर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	1.60
11.	पोकरण फलसूंड पेयजल योजना	30
12.	जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
13.	जैसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14.	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
15.	गिराल परियोजना	24
16.	राजवेस्ट परियोजना हेतु	40
17.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना	50
	योग	1080.44

ta regulatgion

अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति उपरान्त मुख्य अभियन्ता वार दिनांक 21.3.19 सायं 6.00 बजे से दिनांक 26.3.19 सायं 6.00 बजे तक पीने हेतु पानी निम्नानुसार चलाया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर पीने हेतु चलाये जाने वाले पानी का कार्यक्रम नहरवार जारी किया जावेगा।

(समय इंगामुन की बुर्जी सं. 620 पर)

दिनांक	इंगानप हेतु आवंटित पानी की मात्रा	अनिवार्य आवश्यकता	इंगामु नहर की आरडी 0 से 620 तक की नहरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की मात्रा लौसेज सहित	इंगामु नहर की आरडी 620 से 1254 तक की नहरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की मात्रा लौसेज सहित	इंगामु नहर की आरडी 1254 से टेल तक की नहरों के लिए उपयोग में ली जाने वाली पानी की मात्रा लौसेज सहित
21.3.2019 सायं 6.00 बजे से 24.3.2019 सायं 6.00 बजे तक	10500 क्यूसेक	1080 क्यूसेक	5850 क्यूसेक	2255 क्यूसेक	1315 क्यूसेक
दिनांक 24.3.2019 सायं 6.00 बजे से 26.3.2019 सायं 6.00 बजे तक	6750 क्यूसेक	1080 क्यूसेक	3245 क्यूसेक	1490 क्यूसेक	935 क्यूसेक

1. नहरों के लिए पानी केवल पेयजल हेतु उपलब्ध कराया गया है, सिंचाई हेतु नहीं। संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर इसको सुनिश्चित करेंगे।
2. जन स्वा. अभि. विभाग एवं पंचायती राज विभाग उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल का अपने विभागीय स्रोतों के माध्यम से उपयोग करना सुनिश्चित करें।
3. जारी उक्त कार्यक्रम में संबंधित नहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जिला कलक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मोनेटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की क्रियान्विति के लिए प्रत्येक समय अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को पेयजल उपलब्धता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
4. अधिशासी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में प्रसारित आदेश क्रमांक प.9( )संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 की पालना करने का उत्तरदायत्वि संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5. पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए सुनिश्चित करने के क्रम में जल संसाधन, राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग के कार्मिकों की गश्त कार्यवाही संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

अतिरिक्त आयुक्त,
सिंचित क्षेत्र विकास,
बीकानेर।

ta regulatgion

क्रमांकः—प.17(3955)/तक/आक्षेवि/रेगु/2019/221-277 दिनांकः 19 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1— प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
2— संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
3— निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन, राज. जयपुर।
4— जिला कलक्टर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
5— जिला पुलिस अधीक्षक, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
6— अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर/नागौर/चूरू/जोधपुर।
7— अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत, नागौर।
8— अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बाडमेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाडमेर।
9— उपखंड अधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूनकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चूरू/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घडसाना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/सरदारशहर/तारानगर/फलोदी/पोकरण/जैसलमेर।
10— जिला संपर्क अधिकारी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
11— निजी सचिव, आयुक्त, सीएडी, बीकानेर।

अतिरिक्त आयुक्त,
सिंचित क्षेत्र विकास,
बीकानेर।

ta regulatgion